सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0

पत्रांकः विशेष प्रशिक्षण निर्देश/ 2998 /2010-11 दिनांक 8 सितम्बर, 2010

विषयः वर्ष 2010-11 में विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देश।

महोदय/महोदया,

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009" के सेक्शन-4 के अन्तर्गत प्राविधानित है कि 6-14 आयुवर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों को प्रथमतः विद्यालयों की उपयुक्त कक्षा में नामांकित कराया जाये और इन आउट आफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि वह कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ सकें।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपदो द्वारा चिन्हित 6-14 आयु वर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्वीकृति सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2010-11 में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि जनपदों द्वारा 5-7 व 8-9 तथा 10 या 10 से अधिक बच्चों की उपलब्धता के आधार पर संचालित किये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रस्तावित कार्ययोजना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार जनपदवार संचालित किये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्वीकृति परिशिष्ट-क पर संलग्न विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है।

उक्त के क्रम में प्रथमतः 6-14 वय वर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में नामांकित कराया जाय, तदुपरान्त उन्हें उपयुक्त कक्षा की दक्षता के अनुरूप लाने के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नवत् की जायेः-

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन (विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक द्वारा)

- जिन विद्यालयों में 5-7 आउट आफ स्कूल बच्चे नामांकित हुये हों वहां विशेष प्रशिक्षण का संचालन विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) के माध्यम से कराये

जाने हेतु प्राथमिकता दी जाये। **सेवानिवृत्त अध्यापक न मिलने की दशा में उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।**

- विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक) का चयन निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य-सचिव
सम्बन्धित विकासखण्ड का सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी	सदस्य
सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य

- विशेष प्रशिक्षक का चयन नितान्त अस्थाई रूप से होगा तथा विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षायें संचालित करके प्रदान किया जाये ।
- प्रशिक्षण देने वाले विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) को रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से (6 माह हेतु) मानदेय देय होगा।
- यदि विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाता है तो प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक को उक्त हेतु रू0 500-500 प्रतिमाह की दर से (6 माह हेतु) मानदेय देय होगा।
- विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक)/प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के मानदेय का भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चेक अथवा बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- **<u>अवधि -</u>** विशेष प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी।

<u>विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन (विशेष प्रशिक्षक द्वारा)</u>

- जहां 8-9 व अधिक आउट आफ स्कूल बच्चे नामांकित होंगें वहां विशेष प्रशिक्षण का संचालन विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) द्वारा किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक) का चयन निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य-सचिव
सम्बन्धित विकासखण्ड का सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी	सदस्य
सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य

- विशेष प्रशिक्षक का चयन नितान्त अस्थाई रूप से होगा तथा विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षायें संचालित करके प्रदान किया जाये ।
- विशेष प्रशिक्षक को मानदेय के रूप में रू0 2000/- प्रतिमाह (6 माह हेतु) देय होगा।
- **अवधि** – विशेष प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी।
- विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) के मानदेय का भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चेक अथवा बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु अन्य निर्देश

- आउट आफ स्कूल बच्चों को प्रथमतः उनकी आयु के अनुसार विद्यालयों की उपयुक्त कक्षा में नामांकित कराया जाये
- गांव/बस्ती, मजरे के अन्तर्गत चिन्हित सभी आउट आफ स्कूल बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निकटतम विद्यालय में कराया जायेगा।
- विद्यालय चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय में न्यूनतम दो अध्यापक कार्यरत हों।
- नामांकन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों का प्री-टेस्ट लिया जायेगा।
- तत्पश्चात उनकी दक्षता के अनुसार समूहों में विभाजित कर प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक/विशेष प्रशिक्षक द्वारा विशेष शिक्षण कराया जायेगा।
- विद्यालय की उपयुक्त कक्षा के अनुसार बच्चों को अधिगम सम्प्राप्ति प्राप्त करायी जायेगी तथा केन्द्र संचालन अवधि (6 माह) में सतत् तथा समापन पर बच्चों का सत्रांत मूल्यांकन कराया जायेगा ताकि वह कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ सकें।
- केन्द्र के बच्चों को जिनका नामांकन सम्बन्धित परिषदीय विद्यालयों में कराया गया है उन्हें अन्य बच्चों की भांति समस्त सुविधायें यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तके, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करायी जायेगी।
- विशेष प्रशिक्षण का संचालन विद्यालय में ही अतिरिक्त कक्षा-कक्ष में कक्षा संचालित करके कराया जायेगा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन यथासंभव विद्यालय अवधि में ही कराया जाये। स्थानीयआवश्यकतानुसार लचीली व्यवस्था को अपनाते हुये विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय अवधि के पश्चात 1 घंटा और संचालित किया जा सकता है।

प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल

- बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु 6 माह का संघनित पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया है। 6 माह की अवधि में इसे पूरा कराया जायेगा।

- राज्यं शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विशेष प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक/विशेष प्रशिक्षकों को 04 दिवसीय प्रशिक्षण सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा।
- प्रशिक्षणोपरान्त प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक/विशेष प्रशिक्षकों द्वारा चिन्हित आउट आफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों को 06 माह तक राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित संघनित शिक्षण सामग्री के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। उक्त के साथ ही 03 महीने उपरान्त क्रमबद्ध तरीके से परिषदीय विद्यालयों में लागू पाठ्यपुस्तकों का समावेश करते हुये शिक्षण प्रदान किया जाये।

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर नियमित कराया जाये।
- एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपनी न्याय पंचायत में संचालित प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण का अनुश्रवण सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करें। बी0आर0सी0 समन्वयक पाक्षिक, तथा ए0बी0एस0ए0/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा माह में कम से कम एक बार प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- निरीक्षण के समय लगातार अनुपस्थित रहने वाले तथा नामांकित किये गये आउट आफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति का विवरण अवश्य प्राप्त किया जाये।
- विद्यालय स्तर पर विशेष प्रशिक्षण के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा।
- विशेष प्रशिक्षण का समय तथा अवधि की सूचना विद्यालय के सूचना पट पर लगायी जाये।

<u>अनुश्रवण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण</u>

क्र0सं0	अनुश्रवण कर्ता	लक्ष्य	समीक्षा बैठक
1.	विद्यालय का प्रधानाध्यापक	प्रतिदिन	ए0बी0एस0ए0/नगर शिक्षा अधिकारी
2.	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	प्रत्येक सप्ताह में एक बार	माह में एक बार अपने क्षेत्र के समस्त विशेष प्रशिक्षकों एवं सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों एवं एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों की
3.	बी0आर0सी0 समन्वयक	प्रत्येक केन्द्र 15 दिन में एक बार	
4.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र 15 दिन में एक बार	

			संयुक्त बैठक अवश्य करेंगें।
5.	जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	माह में न्यूनतम 10 प्रशिक्षण केन्द्र	
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	माह में न्यूनतम 5 प्रशिक्षण केन्द्र	

- निरीक्षणकर्ता द्वारा विशेष प्रशिक्षण में अध्ययरनरत बच्चों तथा उनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों की फोटोग्राफी की जाये एवं निरीक्षण आख्या के साथ उक्त फोटोग्राफ भी संलग्न किया जाये।
- जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की निरीक्षण आख्या प्रतिमाह 5 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय व साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।

समय सारिणी

क्र0सं0	**कार्य**	**समय सारिणी**
1.	आउट आफ स्कूल बच्चों का नामांकन	दिनांक 30 अगस्त, 2010 तक
2.	प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक/विशेष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	13 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2010 तक (राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में आयोजित मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण फेरे के आधार पर) विवरण संलग्न **संलग्नक-1**
3.	• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि का हस्तांतरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक तथा विशेष प्रशिक्षक को चेक अथवा बैंक खाते के माध्यम से। • शिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण हेतु उपकरण/सामग्री की धनराशि का हस्तांतरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चेक अथवा बैंक खाते के माध्यम से।	25 सितम्बर, 2010 तक
4.	विशेष प्रशिक्षण का संचालन	02 अक्टूबर, 2010 तक

<u>केन्द्र संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन</u>

- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु 5-7 बच्चों की उपलब्धता पर विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक)/प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक (यथास्थिति) द्वारा संचालित कराये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु तथा 8-9 व अधिक बच्चों के उपलब्धता पर विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) द्वारा संचालित कराये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु प्रति केन्द्र की दर से जनपदवार पृथक-पृथक बजट का आंगणन संलग्नक-1 पर संलग्न है। विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि **संलग्नक-2** के अनुसार इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर से जनपदों को प्रेषित की जा रही है।
- विशेष प्रशिक्षण संचालन हेतु **संलग्नक-3 (क)** पर 5-7 बच्चों की उपलब्धता पर विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) द्वारा संचालित केन्द्रों का मदवार फॉंट तथा **संलग्नक-3 (ख)** पर प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा संचालित केन्द्रों का मदवार फॉंट का विवरण संलग्न है।
- 8-9 व अधिक बच्चों की उपलब्धता पर संचालित कराये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु मदवार फांट का विवरण **संलग्नक-4** पर संलग्न है।
- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु बच्चों को उपलब्ध करायी जाने वाले शिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण हेतु उपकरण/सामग्री की सूची **संलग्नक-5** पर संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृत गतिविधियों/कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट प्राविधानों के अनुरूप वास्तविक के आधार पर कराने एवं व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीय,

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: विशेष प्रशिक्षण/ 2998 /2010-11/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, 203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ
3. वरिष्ठ सलाहकार, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

H Singh.

परिशिष्ट-क

वर्ष 2010-11 में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जनपदो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों का विवरण

क्रम सं0	जनपद का नाम	जनपदो द्वारा प्रस्तावित आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		8 से 9 एवं अधिक बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		जनपदो द्वारा कुल प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या	
			बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8(4+6)	9(5+7)
1	आगरा	2025	13	2	1981	194	**1994**	**196**
2	अलीगढ़	1858	237	42	1017	74	**1254**	**116**
3	इलाहाबाद	9433	133	19	4126	266	**4259**	**285**
4	अम्बेडकर नगर	782	91	16	621	50	**712**	**66**
5	औरैया	678	117	21	478	36	**595**	**57**
6	आजमगढ़	722	30	5	472	22	**502**	**27**
7	बदायूँ	1558	477	79	956	77	**1433**	**156**
8	बागपत	772	156	25	555	52	**711**	**77**
9	बहराइच	106	0	0	70	6	**70**	**6**
10	बलिया	643	95	17	420	35	**515**	**52**
11	बलरामपुर	266	24	4	66	5	**90**	**9**
12	बाँदा	1028	68	12	843	73	**911**	**85**
13	बाराबंकी	1574	107	19	895	60	**1002**	**79**
14	बरेली	4267	330	58	3641	343	**3971**	**401**
15	**बस्ती**	154	66	**8**	78	7	**144**	**15**
16	भदोही	1665	82	12	1525	155	**1607**	**167**
17	बिजनौर	3657	489	78	3069	288	**3558**	**366**
18	बुलन्दशहर	2817	210	30	2539	252	**2749**	**282**
19	चन्दौली	578	51	9	400	27	**451**	**36**
20	चित्रकूट	2829	253	40	2475	239	**2728**	**279**
21	देवरिया	1970	377	69	1200	88	**1577**	**157**
22	एटा	1486	67	11	1372	83	**1439**	**94**
23	इटावा	647	91	15	451	43	**542**	**58**
24	फैजाबाद	2028	313	53	1335	81	**1648**	**134**
25	फर्रुखाबाद	1806	206	34	1477	90	**1683**	**124**
26	फतेहपुर	1766	241	40	1213	76	**1454**	**116**
27	फिरोजाबाद	67	0	0	52	4	**52**	**4**
28	गौतमबुद्ध नगर	1008	177	31	787	55	**964**	**86**

क्र० सं0	जनपद का नाम	जनपदो द्वारा प्रस्तावित आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		8 से 9 एवं अधिक बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		जनपदो द्वारा कुल प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या	
			बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8(4+6)	9(5+7)
29	गाजियाबाद	1892	388	76	1148	113	**1536**	**189**
30	गाजीपुर	128	51	9	0	0	**51**	**9**
31	गोण्डा	153	39	6	86	8	**125**	**14**
32	गोरखपुर	890	62	9	827	50	**889**	**59**
33	हमीरपुर	2011	205	35	1678	117	**1883**	**152**
34	हरदोई	8118	694	123	7424	687	**8118**	**810**
35	हाथरस	143	78	12	0	0	**78**	**12**
36	जालौन	516	33	6	294	16	**327**	**22**
37	जौनपुर	983	63	10	782	58	**845**	**68**
38	झाँसी	0	0	0	0	0	**0**	**0**
39	ज्योतिबा फूले नगर	3470	277	46	2933	263	**3210**	**309**
40	कन्नौज	350	54	9	277	21	**331**	**30**
41	कानपुर देहात	550	88	13	364	26	**452**	**39**
42	कानपुर नगर	767	49	9	70	6	**119**	**15**
43	कांशीराम नगर	2143	268	39	1842	99	**2110**	**138**
44	कौशाम्बी	322	61	10	205	14	**266**	**24**
45	**कुशीनगर (पडरौना)**	**532**	**239**	**31**	**220**	22	**459**	**53**
46	लखीमपुर खीरी	888	92	15	683	28	**775**	**43**
47	ललितपुर	1032	189	32	831	64	**1020**	**96**
48	लखनऊ	5344	556	80	4788	286	**5344**	**366**
49	**महाराजगंज**	**2145**	**345**	55	**1800**	**160**	**2145**	**215**
50	महोबा	836	27	5	699	67	**726**	**72**
51	मैनपुरी	104	19	3	72	6	91	9
52	मथुरा	900	102	17	798	73	900	90
53	मऊ	422	81	15	263	22	**344**	**37**
54	मेरठ	841	45	8	754	48	**799**	**56**
55	**मिर्जापुर**	428	26	5	390	**22**	**416**	**27**
56	मुरादाबाद	200	0	0	200	20	**200**	**20**
57	मुजफ्फर नगर	1500	33	6	1425	113	**1458**	**119**
58	पीलीभीत	321	50	8	64	4	**114**	**12**
59	प्रतापगढ	853	143	27	420	29	**563**	**56**
60	रायबरेली	1750	428	66	1044	102	**1472**	**168**

क्र० सं०	जनपद का नाम	जनपदो द्वारा प्रस्तावित आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		8 से 9 एवं अधिक बच्चों की उपलब्धता पर प्रस्तावित केन्द्र		जनपदो द्वारा कुल प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या	
			बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र	बच्चे	केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8(4+6)	9(5+7)
61	रामपुर	2276	330	48	1946	**180**	**2276**	**228**
62	सहारनपुर	615	59	10	245	17	**304**	**27**
63	संत कबीर नगर	1302	298	47	943	**83**	**1241**	**130**
64	शाहजहाँपुर	1573	0	0	1573	157	**1573**	**157**
65	सिद्धार्थ नगर	1201	221	40	881	80	**1102**	**120**
66	सीतापुर	3573	0	0	3573	330	**3573**	**330**
67	सोनभद्र	5930	996	161	4930	429	**5926**	**590**
68	श्रावस्ती	141	40	7	33	4	**73**	**11**
69	सुलतानपुर	1007	44	8	822	41	**866**	**49**
70	उन्नाव	884	26	4	800	53	**826**	**57**
71	वाराणसी	1008	51	7	824	73	**875**	**80**
	योग	**108232**	**11351**	**1866**	**83065**	**6772**	**94416**	**8638**

नोट : बस्ती - 4, कुशीनगर - 5, महाराजगंज -17, मिर्जापुर - 3, रामपुर - 13 एवं सन्तकबीर नगर - 9 जनपदों ने वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या से अधिक केन्द्रों के प्रस्ताव का प्रेषण किया है परन्तु उक्त जनपदों को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृत केन्द्रों के सापेक्ष ही केन्द्रों को संचालित किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक–1

राज्य शिक्षा संस्थान में आयोजित जनपदों के मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के फेरे के आधार पर सम्बन्धित जनपदों द्वारा अपने जनपदों में विशेष प्रशिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समय सारिणी

क्र0सं0	राज्य शिक्षा संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि (तिथि सहित)	जनपद का नाम	सम्बन्धित जनपदों द्वारा राज्य शिक्षा संस्थान में सम्पादित प्रशिक्षण फेरे के उपरान्त अपने जनपदों में विशेष प्रशिक्षकों/प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों को 04 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित तिथि
1.	28.8.2010 से 31.08.2010	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी।	**13.09.2010 से 16.09.2010 तक**
2.	01.09.2010 से 04.09.2010	बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद	**16.09.2010 से 19.09.2010 तक**
3.	09.09.2010 से 12.09.2010	फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन	**19.09.2010 से 22.09.2010 तक**
4.	13.09.2010 से 16.09.2010	जौनपुर, झांसी, जे0पी0नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांशीरामनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ	**22.09.2010 से 25.09.2010 तक**
5.	17.09.2010 से 20.09.2010	महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली	**25.09.2010 से 28.09.2010 तक**
6.	21.09.2010 से 24.09.2010	रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी	**28.09.2010 से 01.10.2010 तक**

HSingh

संलग्नक-2

वर्ष 2010-11 में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जनपदो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण

धनराशि रूपये लाख मे

क्रम सं0	जनपद का नाम	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				08-09 एवं उक्त से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (100%)
		केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 7 बच्चे * रू0 1174) कुल 8220 प्रति केन्द्र की दर से	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)	केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 10 बच्चे * रू0 1500) प्रति केन्द्र की दरसे	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+9)	12(6+10)
1	आगरा	2	0.16440	0.08220	0.00800	194	29.10000	14.55000	0.77600	14.63220	0.78400
2	अलीगढ़	42	3.45240	1.72620	0.16800	74	11.10000	5.55000	0.29600	7.27620	0.46400
3	इलाहाबाद	19	1.56180	0.78090	0.07600	266	39.90000	19.95000	1.06400	20.73090	1.14000
4	अम्बेडकर नगर	16	1.31520	0.65760	0.06400	50	7.50000	3.75000	0.20000	4.40760	0.26400
5	औरैया	21	1.72620	0.86310	0.08400	36	5.40000	2.70000	0.14400	3.56310	0.22800
6	आजमगढ़	5	0.41100	0.20550	0.02000	22	3.30000	1.65000	0.08800	1.85550	0.10800
7	बदायूँ	79	6.49380	3.24690	0.31600	77	11.55000	5.77500	0.30800	9.02190	0.62400
8	बागपत	25	2.05500	1.02750	0.10000	52	7.80000	3.90000	0.20800	4.92750	0.30800
9	बहराइच	0	0.00000	0.00000	0.00000	6	0.90000	0.45000	0.02400	0.45000	0.02400
10	बलिया	17	1.39740	0.69870	0.06800	35	5.25000	2.62500	0.14000	3.32370	0.20800
11	बलरामपुर	4	0.32880	0.16440	0.01600	5	0.75000	0.37500	0.02000	0.53940	0.03600
12	बाँदा	12	0.98640	0.49320	0.04800	73	10.95000	5.47500	0.29200	5.96820	0.34000
13	बाराबंकी	19	1.56180	0.78090	0.07600	60	9.00000	4.50000	0.24000	5.28090	0.31600
14	बरेली	58	4.76760	2.38380	0.23200	343	51.45000	25.72500	1.37200	28.10880	1.60400
15	बस्ती	8	0.65760	0.32880	0.03200	7	1.05000	0.52500	0.02800	0.85380	0.06000
16	भदोही	12	0.98640	0.49320	0.04800	155	23.25000	11.62500	0.62000	12.11820	0.66800
17	बिजनौर	78	6.41160	3.20580	0.31200	288	43.20000	21.60000	1.15200	24.80580	1.46400
18	बुलन्दशहर	30	2.46600	1.23300	0.12000	252	37.80000	18.90000	1.00800	20.13300	1.12800
19	चन्दौली	9	0.73980	0.36990	0.03600	27	4.05000	2.02500	0.10800	2.39490	0.14400
20	चित्रकूट	40	3.28800	1.64400	0.16000	239	35.85000	17.92500	0.95600	19.56900	1.11600
21	देवरिया	69	5.67180	2.83590	0.27600	88	13.20000	6.60000	0.35200	9.43590	0.62800
22	एटा	11	0.90420	0.45210	0.04400	83	12.45000	6.22500	0.33200	6.67710	0.37600
23	इटावा	15	1.23300	0.61650	0.06000	43	6.45000	3.22500	0.17200	3.84150	0.23200
24	फैजाबाद	53	4.35660	2.17830	0.21200	81	12.15000	6.07500	0.32400	8.25330	0.53600
25	फर्रुखाबाद	34	2.79480	1.39740	0.13600	90	13.50000	6.75000	0.36000	8.14740	0.49600
26	फतेहपुर	40	3.28800	1.64400	0.16000	76	11.40000	5.70000	0.30400	7.34400	0.46400
27	फिरोजाबाद	0	0.00000	0.00000	0.00000	4	0.60000	0.30000	0.01600	0.30000	0.01600

वर्ष)10-11 में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जनपदो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण

धनराशि रूपये लाख मे

क्रम सं0	जनपद का नाम	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				08-09 एवं उक्त से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (100%)
		केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 7 बच्चे * रू0 1174) कुल 8220 प्रति केन्द्र की दर से	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)	केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 10 बच्चे * रू0 1500) प्रति केन्द्र की दरसे	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)		
28	गौतमबुद्ध नगर	31	2.54820	1.27410	0.12400	55	8.25000	4.12500	0.22000	5.39910	0.34400
29	गाजियाबाद	76	6.24720	3.12360	0.30400	113	16.95000	8.47500	0.45200	11.59860	0.75600
30	गाजीपुर	9	0.73980	0.36990	0.03600	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.36990	0.03600
31	गोण्डा	6	0.49320	0.24660	0.02400	8	1.20000	0.60000	0.03200	0.84660	0.05600
32	गोरखपुर	9	0.73980	0.36990	0.03600	50	7.50000	3.75000	0.20000	4.11990	0.23600
33	हमीरपुर	35	2.87700	1.43850	0.14000	117	17.55000	8.77500	0.46800	10.21350	0.60800
34	हरदोई	123	10.11060	5.05530	0.49200	687	103.05000	51.52500	2.74800	56.58030	3.24000
35	हाथरस	12	0.98640	0.49320	0.04800	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.49320	0.04800
36	जालौन	6	0.49320	0.24660	0.02400	16	2.40000	1.20000	0.06400	1.44660	0.08800
37	जौनपुर	10	0.82200	0.41100	0.04000	58	8.70000	4.35000	0.23200	4.76100	0.27200
38	झाँसी	0	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	ज्योतिबा फूले नगर	46	3.78120	1.89060	0.18400	263	39.45000	19.72500	1.05200	21.61560	1.23600
40	कन्नौज	9	0.73980	0.36990	0.03600	21	3.15000	1.57500	0.08400	1.94490	0.12000
41	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	13	1.06860	0.53430	0.05200	26	3.90000	1.95000	0.10400	2.48430	0.15600
42	कानपुर नगर	9	0.73980	0.36990	0.03600	6	0.90000	0.45000	0.02400	0.81990	0.06000
43	कांशीराम नगर	39	3.20580	1.60290	0.15600	99	14.85000	7.42500	0.39600	9.02790	0.55200
44	कौशाम्बी	10	0.82200	0.41100	0.04000	14	2.10000	1.05000	0.05600	1.46100	0.09600
45	कुशीनगर (पडरौना)	31	2.54820	1.27410	0.12400	22	3.30000	1.65000	0.08800	2.92410	0.21200
46	लखीमपुर खीरी	15	1.23300	0.61650	0.06000	28	4.20000	2.10000	0.11200	2.71650	0.17200
47	ललितपुर	32	2.63040	1.31520	0.12800	64	9.60000	4.80000	0.25600	6.11520	0.38400
48	लखनऊ	80	6.57600	3.28800	0.32000	286	42.90000	21.45000	1.14400	24.73800	1.46400
49	महाराजगंज	55	4.52100	2.26050	0.22000	160	24.00000	12.00000	0.64000	14.26050	0.86000
50	महोबा	5	0.41100	0.20550	0.02000	67	10.05000	5.02500	0.26800	5.23050	0.28800
51	मैनपुरी	3	0.24660	0.12330	0.01200	6	0.90000	0.45000	0.02400	0.57330	0.03600
52	मथुरा	17	1.39740	0.69870	0.06800	73	10.95000	5.47500	0.29200	6.17370	0.36000
53	मऊ	15	1.23300	0.61650	0.06000	22	3.30000	1.65000	0.08800	2.26650	0.14800

वर्ष 2010-11 में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जनपदो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तावित केन्द्रों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण

धनराशि रुपये लाख मे

क्रम सं0	जनपद का नाम	05-07 बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				08-09 एवं उक्त से अधिक बच्चों की उपलब्धता पर जनपदो द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या				जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित कुल धनराशि (100%)
		केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 7 बच्चे * रू0 1174) कुल 8220 प्रति केन्द्र की दर से	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)	केन्द्र	कुल आगणित बजट (@ केन्द्र * औसत 10 बच्चे * रू0 1500) प्रति केन्द्र की दरसे	जनपदो को कुल आगणित बजट का 50 % अवमुक्त करने का प्रस्ताव	डायट को रू0 400/- की दर से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित धनराशि (100%)		
54	मेरठ	8	0.65760	0.32880	0.03200	48	7.20000	3.60000	0.19200	3.92880	0.22400
55	मिर्जापुर	5	0.41100	0.20550	0.02000	22	3.30000	1.65000	0.08800	1.85550	0.10800
56	मुरादाबाद	0	0.00000	0.00000	0.00000	20	3.00000	1.50000	0.08000	1.50000	0.08000
57	मुजफ्फर नगर	6	0.49320	0.24660	0.02400	113	16.95000	8.47500	0.45200	8.72160	0.47600
58	पीलीभीत	8	0 65760	0.32880	0.03200	4	0.60000	0.30000	0.01600	0.62880	0.04800
59	प्रतापगढ	27	2.21940	1.10970	0.10800	29	4.35000	2.17500	0.11600	3.28470	0.22400
60	रायबरेली	66	5.42520	2.71260	0.26400	102	15.30000	7.65000	0.40800	10.36260	0.67200
61	रामपुर	48	3.94560	1.97280	0.19200	180	27.00000	13.50000	0.72000	15.47280	0.91200
62	सहारनपुर	10	0.82200	0.41100	0.04000	17	2.55000	1.27500	0.06800	1.68600	0.10800
63	संत कबीर नगर	47	3.86340	1.93170	0.18800	83	12.45000	6.22500	0.33200	8.15670	0.52000
64	शाहजहाँपुर	0	0.00000	0.00000	0.00000	157	23.55000	11.77500	0.62800	11.77500	0.62800
65	सिद्धार्थ नगर	40	3.28800	1.64400	0.16000	80	12.00000	6.00000	0.32000	7.64400	0.48000
66	सीतापुर	0	0.00000	0.00000	0.00000	330	49.50000	24.75000	1.32000	24.75000	1.32000
67	सोनभद्र	161	13.23420	6.61710	0.64400	429	64.35000	32.17500	1.71600	38.79210	2.36000
68	श्रावस्ती	7	0.57540	0.28770	0.02800	4	0.60000	0.30000	0.01600	0.58770	0.04400
69	सुलतानपुर	8	0.65760	0.32880	0.03200	41	6.15000	3.07500	0.16400	3.40380	0.19600
70	उन्नाव	4	0.32880	0.16440	0.01600	53	7.95000	3.97500	0.21200	4.13940	0.22800
71	वाराणसी	7	0.57540	0.28770	0.02800	73	10.95000	5.47500	0.29200	5.76270	0.32000
	योग	1866	153.38520	76.69260	7.46400	6772	1015.80000	507.90000	27.08800	584.59260	34.55200

संलग्नक-3 (क)

5 से 7 [redacted] तक के बच्चों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु मदवार बजट : विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक द्वारा)

मद	कुल व्यय
मानदेय (6 माह हेतु) विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) @रू0 1000/- प्रतिमाह x 1 विशेष प्रशिक्षक	6000.00
बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री/कन्टीजेन्सी @260 प्रति बच्चा (औसत 7 बच्चों हेतु)	1820.00
विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) का प्रशिक्षण (डायट को) @ रू0 100 प्रतिदिन X 4 दिन	400.00
कुल योग	**8220.00**
यूनिट कॉस्ट @रू0 1174/- प्रति बच्चा	

संलग्नक-3 (ख)

5 से 7 [redacted] तक के बच्चों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु मदवार बजट : प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा

मद	कुल व्यय
मानदेय (6 माह हेतु) प्रधानाध्यापक को (रू0 500) अध्यापक को (रू0 500) @रू0 500-500/- प्रतिमाह x प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक	6000.00
बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री/कन्टीजेन्सी @260 प्रति बच्चा (औसत 7 बच्चों हेतु)	1820.00
प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक का प्रशिक्षण (डायट को) @ रू0 100 प्रतिदिन X 4 दिन	400.00
कुल योग	**8220.00**
यूनिट कॉस्ट @रू0 1174/- प्रति बच्चा	

संलग्नक–4

8 से 9 एवं अधिक बच्चों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हेतु मदवार बजट : विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक द्वारा)

मद	**कुल व्यय**
विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) @रू0 2000/- प्रतिमाह x 6 माह	12000.00
बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री/केन्द्र कन्टीजेन्सी @260 प्रति बच्चा (औसत10 बच्चों हेतु)	2600.00
विशेष प्रशिक्षक (सेवा निवृत्त अध्यापक) का प्रशिक्षण (डायट को) @ रू0 100 प्रतिदिन X 4 दिन	400.00
कुल योग	**15000.00**
यूनिट कॉस्ट @ रू0 1500/- प्रति बच्चा	

संलग्नक-5

बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री		
क्र0सं0	**मद**	**संख्या (प्रति छात्र)**
1	कापियां (120 पेज)	6
2	पेन्सिल	12
3	रबर	3
4	कटर	2
5	क्रेयान	1 पैकेट
6	स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) 6 इंच, चांदा, परकार	1 सेट
7	पेन (डॉट पेन)	2
8	आर्ट कॉपी	1
9	स्लेट एवं चॉक	1 सेट

उपकरण/सामग्री

क्र0सं0	**सामग्री का नाम**	**संख्या**
1	चॉक	4 डिब्बे
2	चार्ट (मानचित्र यथा राज्य, देश संसार) वर्णमाला-हिन्दी, अग्रेजी, पशु-पक्षी, फल पहाड़े आदि	8
3	रजिस्टर (2 क्वायर)	2
4	छात्र उपस्थिति पंजिका	1
5	गोंद	50 ग्राम
6	कैंची	1
7	चार्ट पेपर	10
8	स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) एक फुट चांदा, परकार	1 सेट
9	स्केच पेन	2 पैकेट
10	पोस्टर/वाटर कलर	02 पैकेट
11	अबेकस छोटा	1